रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, बुधवार, मई 14, 1997/वैशाख 24, 1919
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 14, 1997/VAISAKHA 24, 1919

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड

संकल्प

नई दिल्ली, 14 मई, 1997

सं. यू.-23013/08/97 एल. डब्ल्यू .—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 (1970 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड भारतीय रेल, व्हील एण्ड एक्सेल प्लांट, येलाहनका, बंगलौर-560064 के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्सादन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एतद्द्वारा एक समिति गठित करता है ।

2. समिति का संगठन और उसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) श्री एन. सेथुरमन, सदस्य
संयुक्त महा सचिव,
एन.एफ.आई.आर.,
कृते दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ,
यूनिटी हाऊस, 2 मेन रोड,
पेरम्बूर, चेन्नई-600011

(2) श्री वी. एस. राव, सदस्य
कार्यकारी प्रभारी,
(फैरो एलॉयज एंड मिनिरल,
डिवीजन), टिस्को लि.,
43, चौरंगी रोड,
कलकत्ता-700001

(3) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) सदस्य-संयोजक
6/7, क्रिसेन्ट रोड,
हाई ग्राऊन्ड, बंगलौर

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

"भारतीय रेल, व्हील एंड एक्सेल प्लांट, येलाहनका, बंगलौर के प्रतिष्ठान में स्टील स्क्रैप के ऑक्सी कटिंग, मैटिरियल की हैंडलिंग, पेंटिंग व्हील सैट्स की पैकिंग और लोडिंग, स्कल को ऑक्सी कटिंग, कारखाना परिसर के रखरखाव और सफाई आदि और इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस, लैडल्स आदि के रीलाइनिंग के कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना और यह समुचित सिफारिश करना कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल, व्हील एंड एक्सेल प्लांट, येलाहनका, बंगलौर के प्रतिष्ठान में स्टील स्क्रैप के ऑक्सी कटिंग, मैटिरियल की हैंडलिंग पेंटिंग, व्हील सैट्स की पैकिंग और लोडिंग, स्कल की ऑक्सी कटिंग, कारखाना परिसर के रखरखाव और सफाई आदि और इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस लैड्स आदि के रीलाइनिंग के कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए अथवा नहीं । "

4. समिति का मुख्यालय बंगलौर होगा । समिति तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

उदय बालाकृष्णन, निदेशक/सचिव

MINISTRY OF LABOUR
CENTRAL ADVISORY CONTRACTS LABOUR BOARD
RESOLUTION

New Delhi, the 14th May, 1997

No. U-23013/08/97-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Indian Railways, Wheel & Axle Plant, Yelahanka, Bangalore-560064.

2. The Composition of the Committee and its terms of reference will be as under :—

(1) Shri N. Sethuraman, Joint General Secretary, NFIR, C/o Southern Railway Employees Sangh, Unity House, 2 Main Road, Perambur, Chennai-600011. — Member

(2) Shri V. S. Rao, Executive Incharge (Ferro Alloys and Mineral Division), Tata Iron and Steel Company Ltd., 43, Chowringhee Road, Calcutta-700001. — Member

(3) The Regional Labour Commissioner (Central), 6/7, Crescent Road, High Ground, Bangalore. — Member-Convenor

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows :—

"To study the working of contract labour system in the jobs/works of Oxy cutting of steel scrap, Handling of material, Painting, packing and loading of Wheel Sets, Oxy cutting of skul, Maintenance of factory premises and cleaning etc. and Relining of electric arc furnaces, laddles etc. in the establishment of Indian Railways, Wheel & Axle Plant, Yelahanka, Bangalore and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the jobs/works of Oxy cutting of steel scrap, Handling of material, Painting, packing and loading of wheel sets, Oxy cutting of skul, Maintenance of factory premises and cleaning etc. and Relining of electric are furnaces, laddles etc. in the establishment of Indian Railways, Wheel & Axle Plant, Yelahanka Bangalore be prohibited keeping in view the provision of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970."

4. The Headquarter of the Committee will be at Bangalore. The Committee will submit its report within three months.

UDAY BALAKRISHNAN, Director/Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997